

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक - प्र2/बोर्ड-विविध-8/2007

पटना, दिनांक -

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय: नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3x660 मेगावाट ताप विद्युत गृह के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की शेष राशि 1508.69 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 350.00 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड का 50:50 संयुक्त उपक्रम) के नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 12,964.57 करोड़ रूपया है। इस परियोजना का वित्त पोषण 30 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 70 प्रतिशत ऋण द्वारा उपलब्ध किया जाना है। इस प्रकार इस परियोजना की कुल हिस्सा पूँजी 3889.371 करोड़ रुपये होती है।

2. नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3x660 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण शेर आवंटन, विभिन्न प्रकार के जाँच स्टडीज एवं सम्बंधित विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने का कार्य सम्पन्न हो चुका है। कम्पनी द्वारा इन कार्यों में होने वाले खर्च हेतु राशि की मांग की जा रही है। परियोजना के योजनावद्ध गतिविधियों को पूरा करने हेतु परियोजना की कुल राशि 3889.371 करोड़ रुपये का 50 प्रतिशत 1944.686 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी की आवश्यकता होती है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी की कुल राशि में से राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या 2846 दिनांक 29.07.2009 द्वारा 30.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या 3136 दिनांक 19.08.09 द्वारा 65.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या 1343 दिनांक 26.03.10 द्वारा 33.00 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या 3297 दिनांक 11.08.10 द्वारा 150.00 करोड़ रुपये एवं राज्यादेश संख्या 1502 दिनांक 26.03.2011 द्वारा 158.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 तक कुल 436.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3. वित्तीय वर्ष 2011-12 में पुनः राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के हिस्सा पूँजी की शेष राशि 1508.686 करोड़ रुपये के कार्यान्वयन हेतु राज्यादेश संख्या 3532 दिनांक 05.05.11 द्वारा राज्य योजना से 187.35 (एक सौ सतासी करोड़ पैंतीस लाख) करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यादेश संख्या- 1537 दिनांक 13.03.2013 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी को 90.00 (नब्बे करोड़) करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यादेश संख्या- 0986 दिनांक 21.03.2016 द्वारा 76.00 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश संख्या 1386 दिनांक 02.05.2016 द्वारा 400 करोड़ रुपये, राज्यादेश संख्या- 911 दिनांक- 15.03.2017 द्वारा 85.67 करोड़ रुपय एवं राज्यादेश संख्या 958 दिनांक 18.03.2017 के द्वारा 79.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है।

5. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा नवीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी द्वारा नवीनगर में 3x660 मेगावाट ताप विद्युत गृह के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्तमान में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की शेष राशि 1508.69 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 350.00 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष- 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 - उपशीर्ष-0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड-10-4801.02.190.0102 विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह -निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ उपशीर्ष-0045-बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल० 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ- के०-8448001200045 में जमा की जायेगी।

8. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये पी०एल०खाता संख्या-PLA273 से की जायेगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र२/बोर्ड-विविध-8/2007 के पृष्ठ संख्या 116/टि० पर दिनांक 24.03.2011 को प्राप्त है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या- प्र२/बोर्ड-विविध-8/2007 के पृष्ठ संख्या- 153/टि० पर दिनांक-25.04.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 27/04/2017

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-8/2007-1419

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
दिनांक 27/04/2017

ज्ञापांक प्र२/बोर्ड-विविध-8/2007-1419

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।